नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन भोपाल भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

सूचना

क्रमांक-एफ-3-72-2014-32.— मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्व्दारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव पर, जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में.-

- (1) नियम 3 में, उप-नियम (पांच) में, शब्द "प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर अपनी टिप्पणी के साथ एक माह की समयाविध में शासन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, उत्पादन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगा" के स्थान पर, शब्द "प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई के पश्चात् प्राधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ दो माह की कालाविध के भीतर संचालक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर संचालक, एक माह की कालाविध के भीतर शासन को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, उत्पादन क्षेत्र अधिसूचित करेगा" स्थापित किए जाएं।
- (2) नियम 5 में, उप—नियम (एक) में, शब्द "प्राप्त आपित / सुझावों पर अपनी टिप्पणी के साथ 1 माह की समयाविध में शासन को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगा" के स्थान पर, शब्द "प्राप्त आपित / सुझावों की सुनवाई के पश्चात् प्राधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ दो माह की कालाविध के भीतर संचालक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, संचालक, एक माह की कालाविध के भीतर शासन को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर संचालक, प्राप्ति क्षेत्र अधिसूचित करेगा" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2021

क्र.—एफ—03—72—2014—बत्तीस.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ—03—72—2014—बत्तीस, दिनांक 2 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुमाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal the 2nd February 2021

No.F-3-72/2014/32:: The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Transferable Development Rights Rules, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973) is hereby published as required by subsection (1) of Section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with respect to said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

- In rule 3, in sub-rule (v), for the words "The Director shall submit his comments Government with his report to the on received objections/suggestions, in one month's time and on getting approval from the government the director shall notify the Generating Area", the words, "After hearing the objection / suggestions received, the Authority shall submit a report to the Director within a period of two months with his comments. On receipt of the report, the Director shall submit its recommendations to the Government within a period of one month. On getting the approval from the Government, the Director shall notify the Generating Area" shall be substituted.
- (2) In Rule 5, in sub-rule (i), for the words "The Director shall submit his report to the Government with his comments on received objections/suggestions, in one month's time and on getting approval from the Government the director shall notify the Receiving Area", the words, "After hearing the objection / suggestions received, the Authority shall submit a report to the Director, with his comments within a period of two months. On receipt of the report, the Director shall submit his recommendations to the Government within a period of one month. On getting the approval from the Government, the Director shall notify the Receiving Area" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.